

उत्तर प्रदेश शासन  
पशुधन अनुभाग-1  
संख्या-06/2017/440/37-1-2017-05(129)/2010  
लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2017  
कार्यालय-आदेश

शासन की विज्ञसि / अधिसूचना संख्या- 3548/37-1-2010-11(29)/2001, दिनांक 28-07-2010 एवं सपठित शासनादेश संख्या- 835/37-1-2010-11(29)/2001, दिनांक 03-03-2011 द्वारा 30प्र० के समस्त जनपदों में सोसायटी फार प्रिवेन्शन आफ कूएलिटी टू एनीमल (एस०पी०सी०ए०) की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उक्त विज्ञसि के प्रस्तर-7 एवं 8 के अंतर्गत शासन के कार्यालय आदेश संख्या- 4542/37-1-2013, दिनांक 15-01-2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कुल 65 जनपदों एवं कार्यालय आदेश संख्या- 534/37-1-2013, दिनांक 04-06-2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा 09 जनपदों की एस०पी०सी०ए० की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया गया था।

2- तात्कालिक प्रभाव से विज्ञसि के प्रस्तर- 7 एवं 8 के अधीन हुये उपरोक्त सदस्यों के नामांकन को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

डा० सुधीर एम० बोबडे  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 06/2017/440(1)/37-1-2017 तदद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पो०बाक्स नं०- 8672, 13/थर्ड शीवार्ड रोड, वाल्मीकी नगर, थिरुवनमियूर, चेन्नई-600041
- 3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा- निदेशक (प्रशासन एवं विकास, पशुपालन)।
- 4- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- संबंधित जोनल पुलिस महानिरीक्षक/ परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, संबंधित जिला वन अधिकारी/ नगर निगम के नगर आयुक्त/ नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ।
- 6- निदेशक (प्रशासन एवं विकास),/निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 7- अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास पशुपालन)।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ३०प्र०।
- 9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ३०प्र०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कपया आगामी गजट में प्रकाशित कर 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
राहुल सिंह  
विशेष सचिव ।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।